सचिव,
अखिल, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रविशि/परिषद सम्बद्धता/2020/1013 लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त अखिल शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेशीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्णित हेतु सत्र 2020-21 हेतु अखिल नई दिल्ली की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता/प्रवेश इकाई वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ 2 से 3 में दिनांक इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु नई से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण पक्ष पाया सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार विमर्श उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"किसी दौड़ में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईआई द्वारा उन्हें सशर्त अनुमोदन निरास्त प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं के पीसीआईआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन निरास्त के अनुसार उनके पास से समुचित अग्रिम पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता निरास्त प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं तत्संबन्धी में पीसीआईआई द्वारा पत्रांक अनुमोदन निरास्त के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता निरास्त किये जाने का निर्णय लिया गया।"

विनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गए उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में जिन संस्थाओं की अखिल शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी के अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता निरास्त प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईआई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईआई/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2040	मुगलांचल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एन0एच0-2, ग्वालियर रोड, तेहरा, आगरा।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईआई/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णत: पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी प्राविधिक शिक्षा परिषद (नियोजन एवं प्रवेश) नियमावली-2000 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुगलांचल नियोजन समिति द्वारा नियोजित मुल्क तीन अंकीय इकाई सम्बद्धता हेतु सत्र 2020-21 हेतु रू0 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो अंकीय पाठ्यक्रमों (दो अंकीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 25000.00/- प्रतिवर्ष मुल्क दो प्रवेश इकाइयों से कम किन्तु तीन प्रवेश इकाइयों के अतिरिक्त इकाइयों से मुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सक्षम द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुक्रम कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। अखिल नियोजन समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्नियोजन किया जाता है, तो परीक्षा फीस पर्यवेक्षण दो गुना होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद अधि 2000, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कराये जाने हेतु प्रवेश दिया जायेगा। फीस के लिए यह जारी की जिसे भी उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उ0प्र0 की समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता मुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को पीसीआईआई/पीसीआई/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्गत समय-समय पर निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व विज्ञापन, प्रवेश-पत्र, प्रवेश परीक्षा, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम, काउन्सिलिंग, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत किये जाने वाले निर्देशों, दिशा-निर्देशों, आदेशों, शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया की समस्त सही दी जानकारी, नई दिल्ली से अनुमोदित प्रवेश करने से सम्बन्धित सभी है जो इस उत्तर में समस्त व्यवस्थापित संस्था का दोषा और नियोजन कर के किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुमुख प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा नियोजन एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग अथवा प्रवेश संचालन को कोई खर्च उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद नहीं है तथा संस्था स्वयं ही उत्तरदायी होगी। अखिल शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा।
- ✓ संस्था द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुचित परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष में दिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित द्वारा होने के पूर्व पीसीआईआई से अनुमोदित द्वारा कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से अन्यथा संस्था स्वयं पात्र-छात्रों हेतु) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नामीलाल आरक्षण नियमों का अनुपालन आरक्षण अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने लेखापत्र एवं संस्था की समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी।
- ✓ संस्था को निरीक्षण/परीक्षा हेतु उपर्युक्त व्यवस्थापन उपलब्ध कराने के साथ दिनांक सेवाने के समय से समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में व्यवस्थित अनियमित व्यवस्थापन की स्थिति पाये जाने पर उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त, परीक्षाफल, फार्मेसी, उपकरण इत्यादि तथा यदि पाया जाता है कि संस्थान में प्रवेश लिया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रवेश किसी अन्य व्यवस्थापन में कार्यरत है और संस्था को सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशासन की जायेगी।
- ✓ संस्था के समस्त नियोजन दौरान यदि संस्था में चूनी, भवन, उपकरणालय, उपकरण एवं अन्य उपलब्ध साधन एआईसीटीई/पीसीआई/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानकानुसार पर्याप्त नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुधीर कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0- प्रविशि/परिषद सम्बद्धता/2020/1013/1-1000 दिनांक: 15/09/2020

प्रतिलिपि-
प्रबन्धतन्त्र/प्रिंसिपल/MUGHAL COLLEGE OF PHARMACY, NH-2, GWALIOR ROAD, TEHARA, AGRA

(सुधीर कुमार सोनकर)
सचिव

अनिवार्य निर्देशों का पालन करने के लिये सहमत होंगे।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता यदि पूर्व में नहीं आई, नई दिल्ली से अनुमोदित प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और शिक्षण सत्र से विद्यार्थी जो कार्यवाही के लिए उसका समय उपलब्धता होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुमुख प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा नियोजन एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई जवाब दायित्व लिया जाता है अथवा उत्तरदायित्व के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संबंधी आदेश दिये जाने है तो समस्त प्रतिकूली दायित्व संस्थान संस्था की होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुचित परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीसीआईआई से अनुमोदित प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से अन्यथा संस्था स्वयं पात्र-छात्रों हेतु) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नामीलाल आरक्षण नियमों का अनुपालन आरक्षण अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने लेखापत्र एवं संस्था की समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी।
- ✓ संस्था को निरीक्षण/परीक्षा हेतु उपर्युक्त व्यवस्थापन उपलब्ध कराने के साथ दिनांक सेवाने के समय से समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में व्यवस्थित अनियमित व्यवस्थापन की स्थिति पाये जाने पर उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त, परीक्षाफल, फार्मेसी, उपकरण इत्यादि तथा यदि पाया जाता है कि संस्थान में प्रवेश लिया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रवेश किसी अन्य व्यवस्थापन में कार्यरत है और संस्था को सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशासन की जायेगी।
- ✓ संस्था के समस्त नियोजन दौरान यदि संस्था में चूनी, भवन, उपकरणालय, उपकरण एवं अन्य उपलब्ध साधन एआईसीटीई/पीसीआई/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानकानुसार पर्याप्त नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुधीर कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0- प्रविशि/परिषद सम्बद्धता/2020/1013/1-1000 दिनांक: 15/09/2020

प्रतिलिपि-
प्रबन्धतन्त्र/प्रिंसिपल/MUGHAL COLLEGE OF PHARMACY, NH-2, GWALIOR ROAD, TEHARA, AGRA

(सुधीर कुमार सोनकर)
सचिव

- ✓ संस्था पीसीआईआई/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णत: पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी प्राविधिक शिक्षा परिषद (नियोजन एवं प्रवेश) नियमावली-2000 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुगलांचल नियोजन समिति द्वारा नियोजित मुल्क तीन अंकीय इकाई सम्बद्धता हेतु सत्र 2020-21 हेतु रू0 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो अंकीय पाठ्यक्रमों (दो अंकीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 25000.00/- प्रतिवर्ष मुल्क दो प्रवेश इकाइयों से कम किन्तु तीन प्रवेश इकाइयों के अतिरिक्त इकाइयों से मुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सक्षम द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और अनुक्रम कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। अखिल नियोजन समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्नियोजन किया जाता है, तो परीक्षा फीस पर्यवेक्षण दो गुना होगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद अधि 2000, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कराये जाने हेतु प्रवेश दिया जायेगा। फीस के लिए यह जारी की जिसे भी उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उ0प्र0 की समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता मुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को पीसीआईआई/पीसीआई/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्गत समय-समय पर निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व विज्ञापन, प्रवेश-पत्र, प्रवेश परीक्षा, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम, काउन्सिलिंग, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत किये जाने वाले निर्देशों, दिशा-निर्देशों, आदेशों, शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रक्रिया की समस्त सही दी जानकारी, नई दिल्ली से अनुमोदित प्रवेश करने से सम्बन्धित सभी है जो इस उत्तर में समस्त व्यवस्थापित संस्था का दोषा और नियोजन कर के किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुमुख प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा नियोजन एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग अथवा प्रवेश संचालन को कोई खर्च उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद नहीं है तथा संस्था स्वयं ही उत्तरदायी होगी। अखिल शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा।
- ✓ संस्था द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुचित परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीसीआईआई से अनुमोदित प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से अन्यथा संस्था स्वयं पात्र-छात्रों हेतु) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नामीलाल आरक्षण नियमों का अनुपालन आरक्षण अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने लेखापत्र एवं संस्था की समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी।
- ✓ संस्था को निरीक्षण/परीक्षा हेतु उपर्युक्त व्यवस्थापन उपलब्ध कराने के साथ दिनांक सेवाने के समय से समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में व्यवस्थित अनियमित व्यवस्थापन की स्थिति पाये जाने पर उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त, परीक्षाफल, फार्मेसी, उपकरण इत्यादि तथा यदि पाया जाता है कि संस्थान में प्रवेश लिया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रवेश किसी अन्य व्यवस्थापन में कार्यरत है और संस्था को सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशासन की जायेगी।
- ✓ संस्था के समस्त नियोजन दौरान यदि संस्था में चूनी, भवन, उपकरणालय, उपकरण एवं अन्य उपलब्ध साधन एआईसीटीई/पीसीआई/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानकानुसार पर्याप्त नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 अनुराग सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्रविशि/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1013-1141 दि0 दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रबन्धतन्त्र/प्रिंसिपल, मुगलांचल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एन0एच0-2 ग्वालियर रोड, तेहरा, आगरा।

(डा0 अनुराग सिंह)
सचिव

कार्यालय,
समिति, प्राथमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:- समिति/परिषद् सम्बद्धता/2025/1150 दिनांक: 15-5-2025

-कार्यालय ज्ञाप-

प्राथमिक शालेतर शासकीय शिक्षा परिषद् द्वारा समिति तथा प्रोत्साहन हेतु विभागीय कार्यरत एकलधारी विद्यालय व्यवस्था को अनुप्रेरित करने हेतु पत्रों के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद्, उत्तम स्वास्थ्य से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रकरण लिए जाने हेतु दिनांक 15-5-2025 को आयोजित प्राथमिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ की व्यवस्था में परिषद् कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2024-25 हेतु कार्यरत नई सम्बद्धता तथा सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित सम्बद्धों का सम्बद्धता विस्तार/नवीकरण/प्रवेश आदि पूर्ति/जारी हेतु वर्ष 2024-25 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पत्र-5 में दिशानिर्देश हुये कार्यरत एकलधारी संस्थाओं द्वारा भरी गई सेवा का प्रकरण तथा नवीन सम्बद्धता समिति द्वारा पहले विचार-विमर्श का विस्तृत निर्णय लिया गया :-

"एकलाईनस्टीचैर्स द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व की सम्बद्ध विभागीय कार्यरत संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और कार्यरत्ती के संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2025-26 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को विद्यालय इस कार्यरती पत्रावली में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2025-26 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित व्यावसायिक प्रवेश होने के पूर्व दिशानिर्देशों अनुमोदन पत्र परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराने की उपयोग दी जाएगी।"

उक्त निर्णयानुसार समिति सत्रह की परिषद की दिनांक समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गई संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सभी प्राथमिक शिक्षा परिषद्, एवं का सम्बद्धता द्वारा सत्र 2025-26 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं उनसे अधिक प्रवेश अनुमत हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	विद्यालय कोड	संस्थान का नाम	सम्बद्धता का प्रकार	एकलाईनस्टीचैर्स/ अनुमोदित प्रवेश संख्या - कुल - अनुमोदित अवधि	संलग्न कुल संख्या सत्र 2025-26 अनुमोदित अवधि
1	2025	मुक्ता कान्वेंट अप्पर प्राइमरी पाठशाला-2 नानौता रोड, मेरठ (मेरठ)	विद्यालय द्वारा प्रदत्त	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एकलाईनस्टीचैर्स द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णत: पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी उत्तर पुस्तक तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद् (प्रवेश) नियमावली 2025 तथा समय निर्धारित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन गुनित हेतु शासनादेश हेतु रु0 80,000/- तीसरी, दो समिति कार्यरती शासनादेश हेतु रु0- 40,000/- प्रतिवर्ष पूर्व एक तथा दो समिति शासनादेशों द्वारा समिति कार्यरती शासनादेश के अतिरिक्त हेतु रु0- 20,000/- प्रतिवर्ष सुरक्षा दी जायेगी जब/जहां से प्रवेश किया जायेगा। दायित्व के अतिरिक्त पत्र/शासनों से पृथक

[illegible]

- ✓ के अनुक्रम में उक्त-उक्त का संस्थान द्वारा निर्धारित हेतु जारी शासनादेशित अवधि होगा, और अनुपालन अवधिवार्षिक शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु परिषद का पुनर्विचार किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को एकलधारी प्राथमिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम, शासनादेशों को समय-समय पर निर्गमित दिशा-निर्देश-2025 को सभी का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालन हेतु संस्था प्रबंधन समिति द्वारा प्रशासनिक अधिकारी की भी प्रवेश किया जायेगा। संस्था के नियम एवं उनके प्रति नियमित रूप से प्रबंधन प्रबंधन समिति की नियमितानुसार ही संस्था की व्यवस्थित की जायेगी।
- ✓ संस्था उक्त संस्था-संचालन का विभिन्न शासनादेशों के अनुसार नियमित एवं समयानुसार सुलभ पाया जाना होगा।
- ✓ संस्था को एकलाईनस्टीचैर्स से जारीकर्ता एवं हेतु अनुमोदित अन्य विषय उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था संस्था प्रवेश शासन द्वारा जारी सभी दिशा/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देश एवं निर्देशन, प्राथमिक शिक्षा, संचालन, अनुदान अवैध पाठशाला परिषद, उत्तम स्वास्थ्य प्राथमिक शिक्षा परिषद् उत्तम प्रवेश परीक्षा, शिक्षिकाओं, आचार्यों, शिक्षकों का पालन करने एवं नियम पालन होगी।
- ✓ शिक्षकों एवं पंजीकरी कार्यकर्ताओं की संख्या/ आदि शैक्षणिकों, नई शिक्षकों से अनुमोदित प्रवेश करने से प्रवेशन संस्थी से लेने एवं संस्था में संचालन व्यवस्थापिका विभाग का होना और शिक्षिका वेतन से शिक्षकों की कार्यवाही के लिए पत्रक लिया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद्, अनुदान अवैध परिषद् प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त प्रावधान की जांच द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के संस्था में यह व्यवस्था द्वारा शिक्षकों पूर्णता की प्रवेशी संस्था की प्रतिपूर्ति संस्था आवेदन निरंतर विभाग भाग है यह संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्थान की प्रवेशी होगी।
- ✓ शिक्षकों द्वारा जारीकी सम्बद्धता, संचालित करने वाली संस्थाओं को संस्कृता प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा प्रवेश व्यवस्थापक द्वारा प्रवेशित छात्रों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु व्यावसायिक आचार होने के पूर्व दिशानिर्देशों में अनुमोदित प्रवेश का परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराया परीक्षा आयोजन उनके प्रवेश की दिशानिर्देशित के संस्था के उपलब्धता संबंध कक्षा एवं प्रवेश प्रतिपूर्ति अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ शिक्षण प्रवेश व्यवस्था द्वारा अवैध हेतु निर्धारित व्यवस्थित आचार्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने परिसर्वाद्य एवं आचार्य की व्यवस्था सुनिश्चित होने तथा अनुमोदित प्रवेश संख्या की प्रतिशतिक पूर्तिपूर्ति, व्यवस्था, शिक्षण-संस्था, परिसंचालन आदि नियम उनके बनाए सुलभ, आवश्यक सुलभ आदि का नियमित पालनीय व्यवस्था होगा।
- ✓ संस्था को नियम-अधिनियम हेतु अनुमोदित व्यवस्थापन प्रशासन संचालन के साथ शिक्षण संस्थाओं को संस्थान से व्यवस्था आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्तिपत्रिक करनी होगी।
- ✓ संस्था एवं पूर्तिपत्रिकाओं में से कि द्वारा से प्रवेशार्थियों/छात्रावासिक संस्थाओं को संचालन उनसे लिए शिक्षकों के संस्थान से संस्थान के लिए प्रवेशार्थ संस्था एवं अतिरिक्त पूर्ति-पत्रक, प्रवेशित, आवश्यक प्रवेशार्थी का नहीं शिक्षण द्वारा शिक्षकों संस्था व्यवस्थापक से संचालन किया जाता है और परिषद् को इसकी व्यवस्थापक नहीं है कि संस्था प्रवेशित का प्रवेश किया जाना होगा के लिए कर नहीं है तो संस्थान संस्था की व्यवस्थापक संचालन किया जाने की अनुमति हो जाएगी।
- ✓ शिक्षकों/छात्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्य का संचालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक- समिति/परिषद् सम्बद्धता/2025/1150-1202 लघु दिनांक: 15-5-2025

प्रतिलिपि:- कार्यालय/निदेशक, कृपया संलग्नक आज्ञा कार्यरती एकलधारी-2 व्यवस्थित सेवा हेतु प्रेषित लखनऊ।

(ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह)
सचिव